कार्यालय **उपनिदेशक** **फायर सर्विस** **मेरठ/सहारनपुर** **परिक्षेत्र।**

पत्रांकः50/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–17(गाजि0)/1632/884 दिनांकः 04-12-2017

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स पारस डवलपर्स कन्सोर्शियम द्वारा खसरा नं0–380 एवं 381, ग्राम मोवापुर जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/36252/जीजैडबी/गाजियाबाद/2381/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके अपने पत्रांकः पृष्ठांकन सं0 1175–1/मा0प्लान/जोन–01/17 दिनांकः 18–05–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों पर प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से की गयी है।

उक्त के अनुपालन मे मानचित्रों एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी मोदीनगर गाजियाबाद श्री आर0के0 यादव द्वारा किया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या पत्रांकःभ–10/एफएसमोदी–2017 दिनांकः 22–11–2017 का परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार कर अपनी संस्तुति आख्या मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री सुनील कुमार सिंह को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा पत्रावली का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या पत्रांकः 503/2017 दिनांकः 25–11–2017 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा समस्त अभिलेखों का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–10,296.00 वर्ग मी0।

2–नेट प्लाट एरिया–10,275.00 वर्ग मी0।

3–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–3289.86 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित 02 ब्लॉक का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क0स0	**(ब्लॉक–01) आवासीय।**		**(ब्लॉक–02) कॉमर्शियल।**	
01	**नाम तल**	**प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।**	**नाम तल**	**प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।**
02	भूतल/स्टिल्ट	2779.20	लोअर ग्राउण्ड	478.72
03	प्रथम तल से 14वें तल तक	1645.38 प्रत्येक तल।	भूतल/स्टिल्ट	470.07
04	बेसमेन्ट	4183.970	प्रथम एवं द्वितीय तल	465.70 प्रत्येक तल।
05	–	–	तृतीय तल	355.76
15	भवन की ऊचॉई:–	44.95 मीटर।	भवन की ऊचॉई:–	15.00 मीटर।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2016 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 18.00 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है तथा प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3–सैटबेकः– प्रश्नगत भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–12.00 मी0। **बी0**–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0। **डी0**–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबैक निर्माण एवं विकास उपविधि 2008/2010 यथा संशोधित एवं एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है। तथा मानचित्रों में अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 09–09 मी0 चौडाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिनको सदैव अवरोध मुक्त एवं ओपन टू स्काई रखा जाना अनिवार्य होगा। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के ब्लॉक–01 मे 03 अदद स्टेयरकेस एवं ब्लॉक–02 में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मी0 प्रत्येक प्रस्तावित है। तथा भवन में स्टेयरकेस की चौडाई किसी भी दशा में मानचित्रों में प्रदर्शित चौडाई से कम नही होनी चाहिऐ। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, तथा ब्लॉक–1 की फायर स्टेयर पर 02 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ

Scanned with CamScanner

4–रिफ्यूज एरिया:– प्रस्तावित भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाये वॉच्छनीय है।
1–होजरील/डाउनकमर:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक मे प्रत्येक तल पर होजरील डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
2–भूमिगत टैंक:– भूमिगत टैंक 1,00,000.00 ली0, क्षमता का नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।
3–पम्पस:– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 01 अदद मेन पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एल0पीएम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
4–टेरिस टैंक:– प्रस्तावित भवन के आवासीय ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 5,000 हजार ली0 एवं कॉमर्शियल ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
5–टेरिस पम्प:– प्रस्तावित भवन के कॉमर्शियल ब्लॉक की टेरिस पर टेरिस टैंक 900 एल0पी0एम0 क्षमता का एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
6–वेटराइजर :– प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
7–यार्ड हाइड्रेण्टस:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाइन यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का एन0बी0सी0 प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
9–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम सिस्टम:– प्रस्तावित भवन के कॉमर्शियल ब्लॉक में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
10–मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
12–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:– प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
13–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन में प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
14–कम्पार्टमेन्टेशन:–प्रश्नगत भवन में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।
15–पी0ए0 सिस्टम:– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
16–एग्जिट साईनेज:– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत्र से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा आवासीय भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निमार्ण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अग्निशमन मोदीनगर, गाजियाबाद की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स पारस डवलपर्स कन्सोर्शियम द्वारा खसरा नं0–380 एवं 381, ग्राम भोवापुर जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 पर प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक: मानचित्र।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र

प्रतिलिपि: 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी मोदीनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स पारस डवलपर्स कन्सोर्शियम द्वारा खसरा नं0–380 एवं 381, ग्राम भोवापुर जनपद गाजियाबाद उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।

Scanned with CamScanner